संख्या- 03/2020/745/नौ-9-20-123ज/11

प्रेषक,

अवनीश कुमार शर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9 **लखनऊ दिनांक 20 अप्रैल, 2020**

विषय- 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत नागर निकायों को अंतरित एवं अवशेष धनराशि की उपयोगिता अवधि बढाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं 0-8/2681/142/सा0दि0नि0/2014-2015, दिनांक-02.04.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें , जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि कोविड- 19/कोरोना महामारी के कारण घोषित लॉकडाउन के दृष्टिगत 14वें वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग दिनांक- 31.03.2020 तक नहीं किया जा सका है , इस कारण 14वें वित्त आयोग की अप्रयुक्त धनराशि के उपयोग हेतु समयवृद्धि का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत नागर निकायों को अंतरित एवं उपलब्ध अवशेष धनराशि की उपयोगिता अवधि **दिनांक-31.07.2020 तक** इस शर्त के अधीन बढायी जाती है कि निकाय प्रत्येक दशा में अप्रयुक्त धनराशि का नियमानुसार व्यय/उपभोग केन्द्रीय वित्त आयोग की गाइडलाइन्स के अन्तर्गत अनुमन्य कार्यों पर करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र पर निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी दशा में उपयोगिता अवधि उक्त तिथि से आगे नहीं बढायी जायेगी। निर्धारित अवधि में उक्त धनराशि का प्रयोग प्रत्येक दशा में कर लिया जाय। निर्धारित समय सीमा में धनराशि के उपभोग की समय-समय पर समीक्षा की जाती रहे, जिससे धनराशि किसी भी कारण अप्रयुक्त न रह जाय।

कृपया उक्त निर्देशों का अनुपालन व अनुश्रवण कड़ाई से सुनिश्चित कराते हुये कृत कार्यवाही की सूचना शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(अवनीश कुमार शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैवः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ)।
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ता क्षर की आवश्य कता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यारपित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ)।
5. वित्त (व्यय नियंतत्र) अनुभाग-09/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-02/संसाधन वित्त (वित्त आयोग) अनुभाग-01/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-01।
6. गार्ड फाइल/वेब मास्टर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार शर्मा)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्य कता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यारपित की जा सकती है ।